

संक्षिप्त समाचार

एक जुलाई देश और मध्यप्रदेश के लिए विशेष दिन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कल एक जुलाई का दिन पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष दिन रहने वाला है। अंगेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय दंड सहित, सीआरपीसी, भारतीय सश्य अधिनियम... ये सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। अब दंड सहित के बजाय न्याय सहित की बात की जाएगी। अथवा न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलनी चाहिए। अंगेज जब तक पर हारी है तब तक वो दंड की बात करते थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नामों कानून पूरे देशासीयों के जीवन में अंगीकार होंगे। उससे सुविधा मिलेगी। अपनी संस्कृति पर गर्व करने का मौका मिलेगा। अमरजन के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो अभियान चलेगा, इस व्यवस्था के लिए थाने के अंदर सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और जन जागरूकते के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर अभियान चलाने ने निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद करता हूं इसका लाभ सभी मिलकर उठाएं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस अभियान का हमारी सरकार अक्षरात् पालन करेगी।

एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़े प्रत्येक प्रदेशवासी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। मध्यप्रदेश सरकार भी पर्यावरण के प्रति गंभीर है। लगभग साढ़े 5 करोड़ पौधे मध्यप्रदेश में लगायेंगे। ऐसा प्रयास है कि प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच अलग-अलग जिलों में इस अभियान को चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक टीवी संस्कृति के माध्यम से कहा कि मुझे पर्यावरण है कि कहूं जिसे जैसे इंदौर, 51 लाख पौधे लगाने वाला है। भोपाल ने बीस लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। एक दिन में 6 जुलाई को लगभग 12 लाख पौधे लगाने का भी लक्ष्य तय किया है। ऐसे कार्यों से ही पर्यावरण का माहौल बनता है। ऐसे में पौधारोपण करने के बावजूद भूमिका निभायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस पूरे आयोजन के गंभीर है, यह अभियान लगातार चलता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आप सभी को इस अभियान से जुड़ोंगे की अपील करता है। आप अपने परिजन को लेकर, माता जी को साथ लेकर सेल्फी लें। अगर माता जी नहीं हैं तो उनके चित्र के साथ एक पौधा लगाकर सेल्फी ले सकते हैं। अभियान के अंतर्गत निर्धारित वेस्टर्न पार्ट भी चित्र अपलोड किया जा सकता है। इससे अन्य लोग प्रेरित होंगे। शासन प्रशासन द्वारा बताए गए निर्धारित स्थान पर पौधे लगाएं, सरकार उनकी देखभाल करेगी।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने दी बधाई

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चौकी के अधियांत्रियों व कार्मिकों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता ने 210 मेगावाट स्थानिक क्षमता की यूनिट को लगातार 300 दिन तक संचालित करने में सफलता हासिल की है। यह विद्युत यूनिट की स्थापना के बाद सर्वेष्ट्र प्रदर्शन है। इस यूनिट ने 27 अगस्त 23 से 22 जून 2024 तक 300 दिन सतत विद्युत उत्पादन करने का नया रिकॉर्ड बनाया। 210 मेगावाट की यूनिट ने जब 300 दिन सतत विद्युत उत्पादन करने के कार्यक्रम अंजित किया तब इसने विभिन्न मापदंडों में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। यूनिट ने 100.24 फीसदी प्लांट उपलब्धता फैक्टर (पीएफएफ), 98.6 फीसदी प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) व 9.29 प्रतिशत ओक्जिजलीक जैम्पसन की उपलब्ध हासिल की। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव व मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनोज सिंह ने अमरकंटक ताप विद्युत गृह के यूनिट नंबर 5 के अधियांत्रियों व कार्मिकों की सराहना करते हुए कहा कि समर्पण, कड़ी मेहनत व प्रतिबद्धता से लक्ष्य अंजित करने का यह सर्वश्रेष्ठ व अनुकरणीय उदाहरण है।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 सितंबर को

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निवाचन के लिए फॉर्मों युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 सितंबर 2024 तक यारी की वार्षिक सूची एवं आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची को युक्त तोमर 2 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने गोशाला में आयोजित किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निवाचन के लिए फॉर्मों युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची को युक्त तोमर 2 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने गोशाला में आयोजित किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निवाचन के लिए फॉर्मों युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची को युक्त तोमर 2 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने गोशाला में आयोजित किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निवाचन के लिए फॉर्मों युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची को युक्त तोमर 2 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निवाचन के लिए फॉर्मों युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची को युक्त तोमर 2 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निवाचन के लिए फॉर्मों युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची को युक्त तोमर 2 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निवाचन के लिए फॉर्मों युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची को युक्त तोमर 2 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निवाचन के लिए फॉर्मों युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची को युक्त तोमर 2 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निवाचन के लिए फॉर्मों युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची को युक्त तोमर 2 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। मतदाता केंद्रों को युक्त-युक्तिकरण का प्रस्ताव देता है। ऊर्जा मंत्री गौर ने कहा कि आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची एवं आयोजित किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश राज्य निर

विद्यार

स्वच्छ और सुरक्षित फुटपाथ क्यों हैं जरूरी?

हाईकोर्ट ने शहर में अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों की समस्या पर पिछले वर्ष स्वतः संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा कि उसे पता है कि समस्या बड़ी है, लेकिन राज्य व नगर निकाय सहित अन्य अधिकारी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यह एक मौलिक अधिकार है। हम अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलने को कहते हैं, लेकिन अगर चलने को फुटपाथ ही नहीं होंगे तो हम उनसे या कहेंगे? इस बीच आम-आदमी के मस्तिष्क में इस सवाल का कौंधना स्वाभाविक है कि आखिर मूल अधिकार से या अभिप्राय है? दरअसल, मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक (सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक) और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ ही मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों के एक समूह को संदर्भित करते हैं। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला को भी निर्मित करते हैं तथा नागरिकों की राज्यों के मनमाने कार्यों एवं नियमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार बुनियादी मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करते हैं। एक राष्ट्र के भीतर लोकतंत्र, न्याय और समानता को बनाए रखने के लिए ये अधिकार संविधान का अभिन्न अंग हैं। बाप्पे हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्रधानमंत्री या कोई वीआईपी आता है, तो सड़कों और फुटपाथ को एकदम चकाचक कर दिया जाता है। यदि एक दिन यह हो सकता है, तो सभी लोगों के लिए ऐसा हर रोज यों नहीं हो सकता। आखिरकार, नागरिक टैक्स देते हैं और साफ-सुधरे और सुरक्षित फुटपाथ पर चलना उनका मौलिक अधिकार है। बता दें कि जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ फुटपाथ मुहैया कराना राज्य प्राधिकरण का दायित्व है। राज्य सरकार के केवल यह सोचने से काम नहीं चलने वाला कि शहर में फुटपाथ घेरने वाले अनधिकृत फेरीवालों की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। राज्य सरकार को अब इस दिशा में कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने शहर में अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों की समस्या पर पिछले वर्ष स्वतः संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा कि उसे पता है कि समस्या बड़ी है, लेकिन राज्य व नगर निकाय सहित अन्य अधिकारी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यह एक मौलिक अधिकार है। हम अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलने को कहते हैं, लेकिन अगर चलने को फुटपाथ ही नहीं होंगे तो हम उनसे या कहेंगे? इस बीच आम-आदमी के मस्तिष्क में इस सवाल का कौंधना स्वाभाविक है कि आखिर मूल अधिकार से या अभिप्राय है? दरअसल, मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक (सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक) और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ ही मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों के एक समूह को संदर्भित करते हैं। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला को भी निर्मित करते हैं तथा नागरिकों की राज्यों के मनमाने कार्यों एवं नियमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

सुरेश गोपी यानि केरल में रिवाला कमल

उपयुक्त लगा। बीजेपी को केरल में किसी पापुलर चेहरे की तलाश थी। उसने रणनीति तैयार की। उसे लागू करने में सतर्कता बरती। फलतः सुरेश गोपी बीजेपी के पाले में आ गये और 'प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः' के पहले चुनावी हादसे से उबरकर उन्होंने सन् 2024 के ग्रीष्म में कांग्रेस का परंपरागत किला त्रिशूर सर कर लिया। 25 जून, सन् 1958 को अलपुज्जा में जन्मे सुरेश के गोपीनाथन पिल्ले और ज्ञानलक्ष्मी अमा की संतान हैं। उनका बचपन कोल्लम में बीता। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय कॉन्वेंट के उपरांत फातिमा माता नेशनल कालेज में हुई। जीव विज्ञान में स्नातक उपाधि के बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। फिल्मों से उनका नाता जुड़ने का सबब यह रहा कि पिता फिल्मों के वितरक थे। उससे बालक सुरेश में फिल्मों के प्रति लगाव उपजा। अभिनय की पहली सीढ़ी उन्होंने सात साल की उम्र में चढ़ी। सन् 1965 में उन्होंने ओडायिल निनू में बाल कलाकार की भूमिका निभायी। सन् 1986 में वयस्क होने पर उनके लिए फिल्मों के द्वारा खुल गये और बाद के वर्षों में उन्होंने मुख्यतः मलयाली और कुछेक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में तरह-तरह की भूमिकाएं निभायी और सफलता के इंडे गाड़े। उनकी कई फिल्में बॉस आफिस पर हिट रहीं और उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किये। अपने असमाप्त फिल्मी करियर में सुरेश झोपी अब तक ढाई सौ से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और मनोरंजन को रुपहलती दुनिया में अभिनेता और पार्श्व गायक के अलावा टीवी होस्ट के तौर पर उभेरे हैं। सन् 1998 में उन्हें फिल्म 'कालियट्रम' के लिये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर का सिने अवार्ड मिल चुका है। सुरेश गोपी की सफल

और लोकप्रिय फिल्मों की फेहरिश लंबी है। सन् 1987 में 'उरुपथमनुद्वाङ्दु' में खलनायक की भूमिका में वह चर्चित रहे। लेकिन उनकी कामयाबी में चार चाँद सन् 90 के परवर्ती दशक में लगे। यह दशक उनकी बेशुमार शोहरत का दशक था। उन्हें दर्शकों का बेतहाशा प्यार और समान मिला। लेखक जेंजी और निदेशक शाजी की जोड़ी की जुगल बंदी से आई फिल्में अभिनेता सुरेश गोपी को खूब फली। थलस्तानम, एकलव्यन और माफिया जैसी फिल्मों ने उन्हें मलयाली सिने दर्शकों की चहेता कलाकार बना दिया। बड़ी बात यह कि सुरेश किसी एक रोल में टाइप्ड नहीं हुये, बल्कि उन्होंने तरह-तरह की भूमिकाएं निभायी। वह चरित अभिनेता रहे और नायक और खलनायक भी। यहां तक कि उन्होंने हास्य भूमिकाएँ भी निभायी। मणिचित्रयाजू में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। सन् 90 के परवर्ती दशक में आई उनकी नकुलन, काश्मीरम, कमिशनर, हाईवे, राजुपुत्रन, लेलम आदि ने धूम मचा दी। जनपतिपथ्यम, गुरु, प्रणयवरनंगल, तलोलम, पथरम, वद्युन्नोर, मार्क एंटोनी, कवर स्टोरी, मकलकू, मेघ संदेशम, भारत चंद्रन आईपीएस आदि से यह सिलसिला और आगे बढ़ा। इसके बाद कुछ वर्ष के लिए सुरेश ने फिल्मों से फासला बरता, लेकिन सन् 2006-15 के दरम्यान उनकी फिल्मों को आशातीत सफलता नहीं मिली। उन्होंने एकबारगी संन्यास भी लिया, लेकिन सन् 2019 में तमिलारासन (तमिल) और मार्क एंटोनी के जरिये उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया। सन् 2020 में 'वराने अवश्यमुंड' में सुरेश और शोभना की जोड़ी करीब 15 साल बाद एक साथ दिखी। तरता पाप्पन, कावूल कर गुरुदन जैसी फिल्मों ने उन्हें

पुनः मलयाली सिने परिदृश्य के केंद्र में ला दिया 8 फरवरी, सन् 1990 को राधिका नाथर से विवाहित गोपी सदृश्य कलाकार है। कौन यकीन करेगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ सीपीआई (एम) की युवा ईकाई एसएफआर से किया था। इसके बाद उनका लगाव कांग्रेस से रहा। श्रीमती ईदिरा गांधी के प्रशंसक वह कल भी थे और आज भी हैं। त्रिशुर से चुने जाने के बाद श्रीमती गांधी को 'मदर ईडिया' कहना अकारण र आकस्मिक करतई नहीं है। वह उदारमना सदाशशी नेता हैं। सन् 2006 के असेंबली चुनाव में उन्होंने नयी मिसाल कायम की। उन्होंने पोतेश्वारी में यूडीएफ के गंगाधरन का प्रचार किया तो मलमपु में एलडीएफ के अच्युतानन्दन का। केरल में पहले पहल और इकलौता कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी का कमल से रिश्ता एक दशक पुराना भी न है। उन्होंने अट्टूबर, सन् 2016 में बीजेपी ज्वाइन की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कहने पर उन्होंने सन् 2021 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। लेकिन सीपीआई के पी. बालाचंद्रन से वह चुनाव हार गये। दिलचस्प बात यह है कि मतों की गणन में वह तीसरी पायदान पर रहे। बालाचंद्रन की मु प्रतिदृष्टी रहीं कांग्रेस की पदज्ञा वेणुपाल। इससे पहले हुआ था सन् 2019 का लोकसभा चुनाव। गोपी त्रिशुर से लड़े, लेकिन कांग्रेस के टीएम प्रतापन ने उन्हें मात दे दी। दौड़ में वह तीसरे स्थ पर रहे। प्रतापन के मुय प्रतिदृष्टी रहे भाकपा के राजाजी मैथ्यू थामस। ऐसा लगता है कि अपनी शख्सियत के बूते सुरेश गोपी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मो की नजरों में चढ़ गये और उन्होंने केरल में बीजेपी की डोंगी खेने का दायित्व गोपी को देने का फैसला किया। सुरेश गोपी 29 अप्रैल, सन् 2016

को राज्यसभा के लिए मनोनीत हुये और 24 अप्रैल, 22 तक उच्च सदन के सदस्य रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अनेक महत्वपूर्ण कमेटियों का सदस्य मनोनीत किया। 4 जून को चुनाव 24 के नतीजे आने के कुछ ही दिनों बाद गोपीम ने उन्हें मंत्री पद से नवाजा। उन्हें पेट्रो रसायन और पर्यटन मंत्रालयों में राज्यमंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने पहला काम यह किया कि इसरो के चेयर मैन एस. सोमनाथ से मिले और मुख्यप्रेसियर तथा इडुक्की बांधों से संबंधित बाढ़ की विभीषिका के संदर्भ में अंतरिक्षप्रोटोग्राफिकी के उपयोग पर चर्चा की। सुरेश गोपी संप्रति केन्द्रीय मंत्री हैं, किंतु उनकी रुचि मंत्री पद में नहीं है। वह सांसद रहकर अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहते हैं। उनकी भाषा शालीन है और आचार-विचार में वह उदारता भरतते हैं। यही वजह है कि उन्हें पूर्व सीएम और माकपा नेता (स्व.) ई के नयनार के परिजनों से मिलने और पूर्व सीएम तथा कांग्रेस नेता (स्व.) के करुणाकरण की समाधि पर मत्था टेकने में संकोच नहीं होता। इससे भाजपा नेताओं में भले ही बेचैनी फैले, लेकिन केरल में बीजेपी को पांच पसारने के लिए गोपी सरीखे नेताओं की जरूरत है। उन्हें चर्च जाकर 'नन्ही चोल्हन् दैवम' (प्रभु तेरा शुक्रिया) कहने अथवा मुसलमानों की रोजा इतार में शिरकत से परहेज नहीं है। 21 प्रतिशत ईसाईयों और 14 प्रतिशत मुसलमानों की आबादी के केरल में गोपी बीजेपी की जरूरत बनकर उभरे हैं। योंकि उनके प्रशंसकों में क्युनिस्ट भी हैं और कांग्रेसी भी। ऐसे राज्य में जहाँ बीजेपी के बोट गत 25 वर्षों में 6.56 फीसद से बढ़कर 16.68 फीसद हो गये हों, गोपी का होना बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा है।

